न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
9 / 2016	27 / 06 / 2016	11 / 11 / 2025

1. प्रेमशंकर पुत्र श्री प्रभूलाल जाति नाई निवासी पीपल्दा कलाँ तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. सीताबाई बैवा श्री प्रभूलाल जाति नाई निवासी पीपल्दा कलाँ तहसील पीपल्दा जिला कोटा

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जय तहसीलदार साहब, पीपल्दा जिला कोटा राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री गिरिराज कुशवाहा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

निर्णय

प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम बडोदिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा सैंटलमेंट से पूर्व आराजी खसरा नम्बर 50 / 295 कथा 5 बीघा किस्म उतार दोयम प्रार्थी क्रम 1 प्रेमशंकर के पिता व प्रार्थिया क्रम 2 सीताबाई के पति श्री प्रभुलाल पुत्र श्री भंवरलाल जाति नाई निवासी करवाड के खाते दर्ज थी, नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या 121 सम्वत् 2033 से 36 संलग्न प्रार्थना–पत्र है। बाद सेंटलमेंट उक्त आराजी के नवीन खसरा नम्बर 97 रकबा 0.57 हेक्टर किस्म बारानी प्रथम कायम किये गये हैं। नकल बन्दोबस्त खातौनी संख्या 121 संवत् 2041 से 60 में प्रार्थी क्रम 1 के पिता व प्रार्थी क्रम 2 के पति प्रभुलाल का नाम राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी बाद सेंटलमेंट दर्शायी गयी है। इस प्रकार सेंटलमेंट विभाग द्वारा सेंटलमेंट से पूर्व से रकबे के अनुरूप 0.80 हेक्टर भूमि प्रार्थीगण के पिता व पति के खाते दर्ज करनी चाहिये थी, जब कि 0.57 हेक्टर रकबा दर्ज किया है। इस प्रकार सेंटलमेंट विभाग द्वारा त्रुटि करते हुये 0.23 हेक्टर भूमि प्रभुलाल के खाते में कम दर्ज की है, मूल खातेदार प्रभूलाल के स्वर्गवास के उपरान्त प्रार्थीगण के खाते में वर्तमान में उक्त आराजी दर्ज है, खतौनी बन्दोबस्त संम्वत् 2041 से 60 व नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या 71 संवव 2069 से 72 संलग्न प्रार्थना–पत्र है। इस प्रकार सेंटलमेंट विभाग द्वारा जो त्रूटि की गई हैं, उसे प्रार्थीगण दुरस्त करवाने के अधिकारी है। ख़सरा नम्बर 97 रकबा 0.57 हेक्टर बारानी प्रथम का नकशा सैटलमेंट विभाग द्वारा चोकोर के बजाय तिकोना बना दिया है, तथा खसरा नम्बर 97 के समीप खसरा नम्बर 97 रकबा 1.06 हेक्टर सिवाय चक दर्ज है, इस प्रकार प्रार्थीगण के कमी रकबा 0.23 हैक्टर की पूर्ति खसरा नम्बर 96 रकबा 1.06 हेक्टर सिवायचक भूमि से की जा सकती है। प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बडोदिया तहसील पीपल्दा में सेंटलमेंट से पूर्व खतौनी संख्या 121 नकल जमाबन्दी संवत् 2033 से 36 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 50 तथा 295 रकबा 5 बीघा जिसके बाद सेंटलमेंट नवीन उसरा नम्बर 97 रकबा 0.57 हैक्टर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया है, इस प्रकार 0.23 हेक्टर भूमि सैटलमेंट विभाग द्वारा प्रार्थीगण के पिता व पति के खाते में कम दर्ज की है, उसकी दुरुस्ती की जाकर खसरा नम्बर 97 रकबा 0.57 हैक्टर के स्थान पर 0.80 हैक्टर दर्ज किया जावे तथा कमी रकबा 0.23 हेक्टर की भूमि समीप के सिवायचक खसरा नम्बर 96 रकबा 1.06 हेक्टर से की जाकर प्राथीगण के खाते राजस्व रेकार्ड में 0.80 हैक्टर दर्ज की जावे। तदनुसार मिलान क्षेत्रफल व नक्शा एवं

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

राजस्व रेकार्ड मैं अमल दरामद करने का आदेश प्रदान करने की महत्त्वि अनुकम्पा करे।

प्रार्थीगण की ओर से गिरिराज कुशवाहा एड0 ने प्रार्थना पत्र पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। दिनांक 29.04.2024 को तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट प्राप्त है। शामिल पत्रावली है। जवाब सरकार में ग्राम बड़ौदिया की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2073–76 के खाता संख्या 71 पर प्रेमशंकर पुत्र प्रभूलाल जाति नाई हि० 1/2 सा. पीपल्दाकलां खातेदार रहन BRKGB करवाड़, सीतावाई पत्नि प्रभूलाल हिस्सा 1/2 जाति नाई सा. पीपल्दाकलां खातेदार रहन BRKGB शाखा करवाड़, के नाम ख.सं० 97 रकबा 0.57 है० किस्म बारानी प्रथम लगान 6.27 दर्ज रिकॉर्ड है। संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2033–36 के खाता 121 पर ख.सं. 50/295 रकबा 5 बीघा प्रभूलाल पुत्र भंवरलाल जाति नाई नि. करवाड़ के नाम दर्ज है। सेटलमेंट विभाग द्वारा खातेदार प्रभूलाल के गत ख.सं. 50/295 रकबा 5 बीघा का मेट्रिक प्रणाली से रकबा 0.80 है० के स्थान पर बाद बन्दोबस्त हाल ख.सं. 97 रकबा 0.57 है0 दर्ज किया गया। इस प्रकार सेटलमेन्ट विभाग द्वारा 0.23 है० रकबा कम दर्ज किया गया। बन्दोबस्त से पूर्व की संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2029–32 के खाता सं.–1 में ख. सं. 50 का रकबा 238 बीघा 19 बिस्वा दर्ज है। खातेदार प्रभूलाल पुत्र भंवरलाल नाई सा. करवाड़ को प्रमाण पत्र सं. 206/20 दिनांक 05/10/76 से ख.सं. 50 की 5 बीघा भूमि दिनांक 24.12.2075 को आवंटन हुई, जिसका नामा.सं. 206 दिनांक 13/06/77 रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया। आवंटी प्रभूलाल सेटलमेन्ट से पूर्व के रकबे पर काबिज काश्त रहा। खातेदार प्रभूलाल के स्वर्गवास के उपरान्त प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। वक्त सेटलमेन्ट, बन्दोबस्त विभाग द्वारा पूर्व के खाते के अनुरूप रकबा 5 बीघा के हिसाब से 0. 80 है० भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं कर केवल मात्र 0.57 है0 ही दर्ज की, जो कि गत रकबा के मुकाबले 0.23 है० कम दर्ज किया गया। भू–नक्शा में भी प्रार्थीगण की आराजी का नक्शापूर्व के चतुर्भुजाकार के स्थान पर त्रिभुजाकार कर दिया गया। नक्शे की आकृति सेटलमेन्ट से पूर्व की स्थित में परिवर्तन सिवायचक खसरा में खिसकाने के फलस्वरूप बनाई गई। वर्तमान में मौके पर प्रार्थीगण चतुर्भुजाकार खेत पर ही काबिज काश्त है। प्रार्थीगण को सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त कर रकबा 0.57 है० के स्थान पर 0. 80 है० दर्ज किया जाना तथा भू–नक्शा वर्तमान में काबिज काश्त एवं मौके अनुसार दर्ज किया जाना उचित होगा। कमी रकबा 0.23 है0 की पूर्ति समीपस्थ ख.सं. 95 रकबा 1.18 है0 किस्म सिवायचक में से की जा सकती है तथा वर्तमान मौका स्थिति के अनुसार भू–नक्शे में तरमीम कर भू–नक्शे में सुधार कर आकृति पूर्वत चतुर्भुजाकार की जा सकती है, जिस पर खातेदार वादी काबिज काश्त कर रहा है।

प्रकरण में प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री गिरिराज कुशवाहा की बहस सुनी गई। बहस के तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर पाया कि ग्राम बडौदिया तह0 पीपल्दा जिला कोटा के सेटलमेंट पूर्व ख0नं0 50/295 रकबा 5 बीघा (जो कि 0.80है0, होता है।) भू प्रबंध के कार्यवाही के पश्चात ख0नं0 97 रकबा 0.57है0 पैमूद किया गया जो कि भू प्रबंध के कार्यवाही के पूर्व के रकबे 0.80है0 से भू प्रबंध पश्चात 0.57है0 यानि 0.23है0 कम दर्ज किया गया है एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट दिनांक 08.04.2024 (प्राप्त दिनांक 29.08.2024) के अनुसार बन्दोबस्त विभाग द्वारा पूर्व के खाते के अनुरूप रकबा 5 बीघा के हिसाब से 0.80 है० भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं कर केवल मात्र 0.57 है0 ही दर्ज की, जो कि गत रकबा के मुकाबले 0.23 है० कम दर्ज किया गया। भू–नक्शा में भी प्रार्थीगण की आराजी का नक्शापूर्व के चतुर्भुजाकार के स्थान पर त्रिभुजाकार कर दिया गया। नक्शे की आकृति सेटलमेन्ट से पूर्व की स्थित में परिवर्तन सिवायचक खसरा में खिसकाने के फलस्वरूप बनाई गई। वर्तमान में मौके पर प्रार्थीगण चतुर्भुजाकार खेत पर ही काबिज काश्त है। प्रार्थीगण को सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त कर रकबा 0.57 है० के स्थान पर 0.80 है०

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

दर्ज किया जाना तथा भू–नक्शा वर्तमान में काबिज काश्त एवं मौके अनुसार दर्ज किया जाना उचित होगा। कमी रकबा 0.23 है0 की पूर्ति समीपस्थ ख.सं. 95 रकबा 1.18 है0 किस्म सिवायचक में से की जा सकती है तथा वर्तमान मौका स्थिति के अनुसार भू–नक्शे में तरमीम कर भू–नक्शे में सुधार कर आकृति पूर्वत चतुर्भुजाकार की जा सकती है, जिस पर खातेदार वादी काबिज काश्त कर रहा है। परन्तु भू–नक्शा राजस्थान पोर्टल पर ग्राम बडौदिया का नक्शा देखने पर पाया कि ग्राम बडौदिया का खसरा नं0 97 रकबा 0.57है0, एवं ख0नं0 95 रकबा 1.18है0 समीपस्थ खसरा नहीं है। जवाब सरकार व वादी का दावा स्पष्ट नहीं कर पाया कि कमी रकबा की पूर्ति खसरा नं0 97 की सीमाओं से मिले हुए किस खसरे/खसरो से ही की जा सकती है। ख0नं0 97 में हुई कमी किस खसरे में बेशी हुई यह भी साक्ष्य द्वारा समथित नहीं है। वादी अपना वाद सिद्ध नहीं कर पाया है। अतः वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा